न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 10/23

GCMS NO 2023/52

1. प्यार सिह पुत्र हजारी
2. मीठालाल पुत्र हजारी
3. रामरतन पुत्र मलजी
4. रामखिलाडी पुत्र मलजी
5. विश्राम पुत्र मलजी

अपीलांट

बनाम

1. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बामनवास
2. जलसिह पुत्र गेदुल्या(मृतक)
   2/1. गिर्राज पुत्र स्व0जलसिह
   2/2. राजेन्द्र पुत्र स्व0जलसिह
   2/3. गिर्राजी पुत्री स्व0जलसिह
   2/4. गंगादेवी बेवा स्व0जलसिह जातियान गुर्जर निवासीयान सूरगढ तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर
3. हरि सिह पुत्र गेदुल्या जाति गुर्जर निवासी सूरगढ तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 38/10 निर्णय व डिकी दिनांक 16.1.23 न्यायालय उप जिला कलक्टर, बामनवास)
अभिभाषक अपीला0 श्री मोहम्मद इस्लाम
अभिभाषक रेस्पो0 श्री योगेश शर्मा

दिनांक 16.01.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिकी दिनांक 16.1.23 न्यायालय उप जिला कलक्टर, बामनवास पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/अपीलांट द्वारा एक दावा बाबत इन्द्राज दुरूस्ती इस आशय का पेश किया कि भूमि ख0न0 176 रकबा 2 बीघा 12 विस्वा, 181 रकबा 1 विस्वा, 206 रकबा 9 बीघा 1 विस्वा ग्राम सूरगढ मे पूर्व मे गेदुल्या ,मलजी,प्यारंसिह,मीठालाल पुत्रान हजारी जाति गुर्जर निवासी सूरगढ की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की आराजी रही है। गेदुल्या का निधन हो चुका है उसके दो पुत्र जलसिह व हरिसिह है। मलजी पुत्र हजारी का देहान्त हो चुका है उसके वारिसान वादी संख्या 3 ता 6 है। उपरोक्त आराजीयात मे गेदुल्या,मलजी,प्यारसिह व मीठालाल का समान हिस्सा है व इसी के अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है। यह पुश्तैनी जमीन है। इसके हाल ख0न0 445,446,473,476,477,478,479,482,483,485 है। से... दौरान गेदुल्या,मलजी,प्यारसिह व मीठालाल का साबिक ख0न0 176,181,206 ... 1/4 हिस्सा न करके गेदुल्या के दो पुत्र जलसिह व हरि सिह दोनो ... हिस्सा 1/4, 1/4 अलग अलग दर्ज कर दिया और वादी के खाते मे हिस्सा 1/4 के स्थान पर 1/6 दर्ज कर ... जबकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:14:49 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

सेटलमेंट विभाग को हिस्सा परिवर्तन करने का कोई अधिकार नही है। जिसकी दुरूस्ती होना आवश्यक है। अतः आराजी साबिक ख0न0 176 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, 181 रकबा 1 बिस्वा, 206 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा जिसके हाल ख0न0 145,446,447,477,478,479,482,483,485 मे जलसिह का हिस्सा 1/4 हरिसिह का हिस्सा 1/4 हजफ करते हुए दोनो का हिस्सा 1/4 दर्ज किया जाकर वादीगण का हिस्सा 1/6 के स्थान पर 1/4 दर्ज किया जावे। इस प्रकार की इस्दुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 24/08 दर्ज किया जाकर दिनांक 29.9.08 को डिक्री किया गया। जिसकी अपील प्रतिवादी संख्या 2 व 3 हरिसिह व जलसिह द्वारा इस न्यायालय मे पेंश की गई। जिस पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 22.2.2010 को अधिनस्थ न्यायालय को पुनःनिर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड की गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज किया जाकर प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर वादी का वाद पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारीं कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं रूयेदाद मिसल होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे प्रकरण मे विचरीत विवाधक संख्या 1 ता 3 को साबित करने का भार वादीगण को बतलाया है तथा विवाधक संख्या 4 व 5 को साबित करने का भार प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 को बताया है। उक्त कम मे उभयपक्षकारान की दस्तावेजी साक्ष्य से विवाधक संख्या 1 ता 3 वादीगण/अपीलांट द्वारा स्वयं के हक मे पूर्ण रूप से साबित किया है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्व विवाधक संख्या 1 ता 3 अपीलांट/वादी के विरूद्व निर्णित कर विधिक भूल की है। अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र मे सर्मथन मे प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यो से यह प्रमाणित है कि भूमि प्रांरभ से ही प्यार सिह,मीठालाल,मलजी व गेदुल्या पुत्रान हजारी की समान रूप से 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 खातेदारी मे कब्जे काश्त की भूमि रही है। उक्त खातेदारान की मृत्यु की स्थिति मे उनकी खातेदारी मे अंकित भूमि का हिस्सा ही विधि अनुसार उनके वारिसान को प्राप्त होना निश्चित है। तदनुसार रेस्पो0 संख्या 2 व 3 गेदुल्या के पुत्र होने के कारण वादग्रस्त भूमि मे से उनका संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज होने के योग्य रहे है तथा साबिक रिकार्ड अनुसार की उक्त खातेदारान की खातेदारी को राजस्व कर्मचारी द्वारा बदस्तुर किया जाना दायित्वाधीन रहा है परन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा गलत रूप से अपीलांट प्यारसिंह, मीठालाल तथा अपीलांट 3 ता 5 के विधि अनुसार हिस्से 1/4, 1/4, 1/4,1/4 के स्थान पर 1/6, 1/6,1/6, 1/6 का गलत रूप से इन्द्राज किया है साथ ही रेस्पो0 संख्या 2 व 3 संयुक्त हिस्सा 1/4 के स्थान पर पृथक पृथक 1/4, 1/4 हिस्से विधि विरूद्व तरीके से राजस्व रिकार्ड मे अंकित किया गया। जो दुरूस्ती योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे रेस्पो0 की और से प्रस्तुत दस्तावेज

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:14:49 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

प्रदर्श डी 3 पर्चा खतौनी का उल्लेख किया है जिसमे प्रदर्श डी 3 पर मीठालाल की अंगूठा निशानी व मलजी के हस्ताक्षर होना बताया है जिसके आधार पर डी 3 के इन्द्राजात को उक्त खातेदारान द्वारा स्वीकृत किया जाना बताया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विवेचना करते हुए प्रदर्श डी 3 का लेशमात्र भी अवलोकन नही किया है ना ही इस विधिक स्थिति पर गौर किया कि किसी दस्तावेज पर किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर निशानी होने मात्र से भूमि का अन्तरण नही हो जाता है। कृषि भूमि के अन्तरण के लिए सम्पति अंतरण अधिनियम के प्रावधान लागू होते है। तदनुसार की भूमि अंतरण योग्य होती है। इसके अतिरिक्त हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के आधार पर भूमि विरासत मे प्राप्त होती है। उक्त विधि की हिंसा कर यदि किसी प्रकार कोई अंतरण प्रकट भी होता है तो वह शून्य अंतरण की स्थिति मे आता है। विवादित आराजीयात की गेदूल्या, मलजी,प्यार सिह, मीठालाल पुत्रान हजारी गुर्जर के नाम दर्ज थी। दौराने सेटलमेंट गेदूल्या का निधन हो गया इसलिए सेटलमेंट मे जो पर्चा जारी हुआ जिसमे जल सिह ,हरि सिह पुत्रान गेदूल्या व प्यार सिह ,मलली,मीठालाल पुत्रान हजारी दर्ज कर दिया। पर्चा सेटलमेंट मे हिस्से का खुलासा नही किया गया तथा उसी को आधार मानकर रेस्पो0 द्वारा बैक से ऋण प्राप्त कर लिया। उसका नामा0 जो दर्ज किया गया है उसमे रेस्पो0 का दोनो का हिस्सा 1/4, 1/4 दर्ज कर दिया जबकि अपीलार्थीगण का हिस्सा 3/4 व रेस्पो0 दोनो का हिस्सा 1/4 दर्ज होना चाहिए था। हस्तगत प्रकरण मे प्रारंभ से ही वादग्रस्त भूमि रेस्पो0 संख्या 2 व 3 के संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से की भूमि है। जिसे राजस्व कर्मचारियो ने 1/4, 1/4 विधि विरूद्व तरीके से अंकित किया है जिसकी दुरूस्ती कराना आवश्यक है। प्रदर्श डी 3 पर अंकित अगूठा निशानी फर्जी है जो संबंधित पक्षकारान द्वारा नही की गई है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलांट की और से प्रस्तुत वाद को विधि विरूद्व तरीके से खारिज किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे वादग्रस्त भूमि को पक्षकारान के पिता हजारी व धन्ना की खातेदारी मे पूर्व से वादग्रस्त भूमि होना बताया है तथा उक्त कथित धन्ना को भूमि का हिस्सा पूर्व मे कम प्राप्त होने का उल्लेख किया है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर नही किया कि हस्तगत प्रकरण मे पूर्व खातेदार धन्ना व उसके वारिसान का किसी प्रकार का कोई हित या विवाद निहित नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा काल्पनिक आधार पर वादी/अपीलांट के विरूद्व निर्णय रेस्पो0 के तर्को को महत्व देते हुए निर्णय पारित किया गया है। जो निरस्त योग्य है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर वाद पत्र अनुसार डिक्री फरमाया जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस मे तर्क दिया कि वादग्रस्त आराजीयात मे रेस्पो0 का 1/2 हिस्सा है। जिसके अनुसार रेस्पो0 अपने हिस्से पर काबिज काश्त कर लाभान्वित होते चले आ रहे है। राजस्व अधिकारियो ने राजस्व रिकार्ड मे उक्त आराजी का रेस्पो0 संख्या 2 व 3 का 1/4, 1/4 सही प्रकार दर्ज किया है। [illegible] 1/4 हिस्सा स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के यहॉ रहन रखा हुआ है। [illegible] बैंक को भी पक्षकार नही बनाया गया है। इस कारण अधिनस्थ [illegible] विधि अनुसार खारिज किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय [illegible] प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:14:49 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

निर्णय दिनांक 22.2.2010 की पूर्ण रूप से पालना की जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तनकीयात कायम की जाकर प्रत्येक तनकी पर पूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण कर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यो का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि के अनुरूप है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि भूमि ख0न0 176 रकबा 2 बीघा 12 विस्वा, 181 रकबा 1 विस्वा, 206 रकबा 9 बीघा 1 विस्वा ग्राम सूरगढ मे पूर्व मे गेदुल्या ,मलजी,प्यारसिह,मीठालाल पुत्रान हजारी जाति गुर्जर निवासी सूरगढ की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी रही है। जो हजारी की विरासत से उनको प्राप्त हुई है। जिसमे कमश गेदुल्या,मलजी,प्यारसिह,मीठालाल का बराबर बराबर का हिस्सा होना चाहिए था। गेदुल्या की मृत्यु के पश्चात उनके वारिसान रेस्पो0 संख्या 2 व 3 जलसिह व हरिसिह को गेदुल्या के हिस्से की आराजीयात का हिस्सा ही प्राप्त होनी चाहिए थी। परन्तु सेटलमेंट कर्मचारियो द्वारा गेदुल्या के वारिसान जलसिह व हरिसिह के नाम विवादित भूमि का 1/4, 1/4 हिस्सा अलग अलग दर्ज कर दिया। जबकि उनको गेदुल्या के हक की 1/4 भूमि ही प्राप्त करने का अधिकार है। शेष 3/4 भूमि मे हजारी के अन्य तीनो पुत्र मलजी,प्यारसिह व मीठालाल का हक निहित है। रेस्पो0 का कथन रहा कि विवादित आराजीजयात हजारी व उसके भाई धन्ना की पैतृक आराजीयात रही है। जिसका विभाजन सरस नरस के हिसाब से तय होकर हजारी के वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के ज्यादा रही है तथा धन्ना के वारिसो के नाम कम दर्ज हुई है। परन्तु प्रस्तुत वाद पत्र मे धन्ना के वारिसो द्वारा किसी प्रकार का कोई क्लेम कम भूमि के बाबत नही किया गया है। विवाद हजारी की विरासत मे से रेस्पो0 2 व 3 को भूमि 1/4, 1/4 अलग अलग दर्ज होने पर है। जबकि चारो भाईयो को बराबर बराबर का हिस्सा कानूनन प्राप्त होना चाहिए था। सेटलमेंट विभाग की गलती से गेदुल्या के वारिसान रेस्पो0 संख्या 2 व 3 के नाम 1/4, 1/4 अलग अलग खातेदारी दर्ज की गई है। जो विधि के प्रावधानो के विपरीत है। आराजी साबिक ख0न0 176 रकबा 2 बीघा 12 विस्वा, 181 रकबा 1 विस्वा, 206 रकबा 9 बीघा 1 विस्वा कुल किता 3 रकबा 11 बीघा 14 विस्वा जिसके हाल नम्बर 145 रकबा 0.29, 446 रकबा 0.39, 447 रकबा 0.60,477 रकबा 0.03, 478 रकबा 0.60 , 479 रकबा 0.58 , 482 रकबा 0.25 , 483 रकबा 0.27 व 485 रकबा 0.40 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 3.41 है0 मे रेस्पो0 संख्या 2 व 3 जलसिह व हरिसिह का 1/4 हिस्सा तथा वादीगण अपीलांट का 1/6 के स्थान पर 1/4 दर्ज होना चाहिए था। इस [illegible] है।

अतःअपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने से [illegible] न्यायालय उप जिला कलक्टर, बामनवास के [illegible] दिनांक 18.1.23 को अपास्त किया जाता है। तथा विवादित आरा[illegible] 145,446,447,477,478,479,482,483,485 कुल किता 9 कुल रकबा 3.41 है0 वाके ग्राम [illegible]रगढ तहसील बामनवास मे

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:14:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

दीगण/अपीलांटगण को 3/4 हिस्से का तथा रेस्पो0 संख्या 2 व 3 को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल किया जावे। पर्चा उक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:14:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner